न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2022

बउनवान

1. प्रमोद उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री अमरलाल
2. अशोक उम्र 38 वर्ष पुत्र श्री अमरलाल
3. धनराज उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री अमरलाल
4. उत्तरा उम्र 30 वर्ष पुत्री श्री अमरलाल
5. गट्टू बाई उम्र 60 वर्ष बेवा श्री अमरलाल जातिगण मीणा निवासीगण ग्राम झाड़वा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0) मो0नं0 8890988841

(अपीलांटगण)

बनाम

1. मांगीलाल उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री अमरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम झाड़वा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0) (रेंस्पोडेंटगण)

अपील इन्तकाल नं0 793 ग्राम झाड़वा तहसील मांगरोल व इंतकाल नं0 1002 ग्राम ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल दिनांक 10.09.2021 तहसीलदार मांगरोल

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :— 1. श्री बाबूलाल जैन एडवोकेट (अपीलांटगण)
2. श्री सुरेन्द्र मीणा एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 25.09.2024

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम झाड़वा तहसील मांगरोल खाता संख्या 3 की किता 5 कुल रकबा 3.39 है. अमरलाल पुत्र बलदेव जाति मीणा की खातेदारी की आराजी है। ग्राम ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल के खाता संख्या 4 की किता 3 कुल रकबा 1.46 है. अमरलाल पुत्र बलदेव जाति मीणा हिस्सा 1/2 तथा कस्तूरचंद पुत्र श्री रामनाथ हिस्सा 1/2 की खातेदारी की आराजी है। ग्राम ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल के खाता संख्या 3 खसरा नंबर 70 रकबा 3.55 है. अमरलाल पुत्र बलदेव जाति मीणा हिस्सा 1/2, कस्तूरचंद पुत्र रामनाथ हिस्सा 41/178, चतुर्भुज पुत्र माधो हिस्सा 12/89, भीमराज पुत्र देवकरण हिस्सा 12/89 के खातेदारी की आराजी है। उपरोक्त भूमियों में से मात्र अमरलाल पुत्र श्री बलदेव का हिस्सा ही विवादित है क्योंकि अमरलाल की दिनांक 03.07.2020 को मृत्यु हो गई है तथा अपीलान्टगण अमरलाल के पुत्र—पुत्रियां व बेवा है तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 01 अमरलाल की पहली पत्नि पाना बाई का लड़का है। अमरलाल की पहली पत्नि पानाबाई लगभग 40 वर्ष पूर्व अमरलाल को छोड़कर ग्राम खजूरना खुर्द में नाते चली गई थी तथा जीवन पर्यन्त वही रही तथा वर्तमान में भी पाना बाई की दिनांक 19.05.2015 को खजूरना खुर्द में ही मृत्यु हो गई है तथा वहां भी पाना बाई के कोइ संतान नहीं हुई। इस कारण अमरलाल की भूमियों में अब केवल अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 01 कुल 6 वारिस है। सभी के नाम 1/6—1/6 के रूप में दर्ज होना चाहिये तथा इस बाबत तहसीलदार मांगरोल ने दिनांक 15.10.2021 को आदेश निकालकर सभी के नाम 1/6—1/6 दर्ज करने के आदेश दे दिये थे। अपीलान्ट क्रम 04 उत्तरा बाई अमरलाल की जायन्दा पुत्री है तथा मन्दबुद्धि है वह झाड़वा में ही रहती है तथा अमरलाल की जो सम्पत्ति है उसमें भी उसका 1/6 हिस्सा बनता है और उसी से [illegible] क्योंकि उसके मन्दबुद्धि होने के कारण उसके पति ने उसे छोड़ रखा है। इस प्रकार [illegible] 3.2021 को न्यायालय तहसीलदार मांगरोल ने जो आदेश पारित किया है व[illegible] हल्का का यह कहना है कि पाना बाई का हिस्सा किसके नाम [illegible] होगा। क्योंकि [illegible]बाई अमरलाल के जीवनकाल में ही 40 वर्ष पूर्व खजूरना खुर्द में नाते जा चुकी है तथा उसका [illegible] पुत्र मांगीलाल है इसलि[illegible]बाई के कोई भूमि नही आ सकती व पाना बाई का कोई हिस्सा नह[illegible] केवल मात्र मांगीलाल [illegible]का पुत्र है, इस कारण 1/6 हिस्सा पाने का अधिकारी है। अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय में एक अपील दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.12 10:12:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

[illegible] को 75 एल.आर. एक्ट के तहत दिनांक 12.03.2021 के आदेश के विरूद्ध पेश की थी, जो वर्तमान में जेरकार है, जिसमें तारीख पेशी दिनांक 22.12.2021 नियत है, किन्तु इंतकाल प्रक्रियाधीन बताकर अब तक तहसीलदार ने इंतकाल नही खोला तथा अब दिनांक 10.09.2021 को इंतकाल तस्दीक किया गया है, जो सर्वथा खिलाफ कानून है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट क्रम 02 द्वारा दिनांक 10.09.2021 को तस्दीक किये गये ग्राम झाड़वा व ग्राम ईस्वरपुरा के नामांतकरण निरस्त फरमाये जावें तथा दिनांक 15.02.2021 को जो आदेश जारी किया था, उसके अनुसार अमरलाल के हिस्से में सभी वारिसों का 1/6–1/6 के रूप में नाम दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट कम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। हमने बहस उभयपक्ष सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पानाबाई मृतक अमरलाल के जीवनकाल में ही लगभग 40 वर्ष पूर्व अन्यत्र नाते चले जाने के बावजूद भी अमरलाल पुत्र बलदेव की मृत्यु उपरांत खोले गये इंतकाल में पानाबाई का हिस्सा निर्धारित कर पानाबाई एवं मृतक अमरलाल के जाईन्दा पुत्र रेस्पो. कम 1 का हिस्सा आराजीयात में 1/4 दर्ज किया है। जबकि मृतक अमरलाल के जीवनकाल में लगभग 40 वर्ष पूर्व ही पानाबाई अन्यत्र नाते चले गई थी, ऐसी स्थिति में मृतक अमरलाल पुत्र बलदेव की आराजी में पानाबाई का कोई हिस्सा नहीं है। मृतक अमरलाल पुत्र बलदेव के अपीलांटगण व रेस्पो. कम 1 जायज वारिस हैं। अतः अपीलाधीन दोनो नामान्तकरण निरस्त किये जाकर मृतक अमरलाल पुत्र बलदेव के जायज वारिस अपीलांटगण एवं रेस्पो. कम 1 के 1/6–1/6 हिस्से अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश रेस्पो. कम 2 को प्रदान करें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिअनुरूप नामान्तकरण दर्ज किया है। मृतक अमरलाल पुत्र बलदेव की पत्नि पानाबाई के नाते जाने का कोई प्रमाण नहीं है। मृतक अमरलाल की सम्पत्ति में उसकी द्वितीय पत्नि गट्टूबाई तथा विवाहित पुत्री उत्तरा का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि पक्षकारान मीणा जाति के सदस्य हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के तहत आती है। तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने विधिक दृष्टांत डीएनजे 2014(3) राज पृष्ठ संख्या 1050 तथा आरआरटी 2024(1) पृष्ठ संख्या 73 का अवलोकन करवाया तथा अपीलांट की अपील खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि मीणा जाति में पुत्रियों का पैतृक संपत्ति में हिस्सा नही होता तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मीणा जाति पर लागू नही होता। नामांतरकरण एक फिस्कल कार्यवाही होने से यह तथ्य दावें में ही बाद साक्ष्य तय हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर इन्तकाल नं0 793 ग्राम झाड़वा व इंतकाल नं0 1002 ग्राम ईश्वरपुरा तहसील मांगरोल दिनांक 10.09.2021 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक अमरलाल पुत्र बलदेव के वैध वारिसान एवं उत्तराधिकारियों के [illegible] विधि अनुसार नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.11.12 10:12:55 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)